फर्द अहकाम

गोपाल बनाम राजूलाल

नाम न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या:– 53/2024 /दावा

क्र. स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	8/12/25	आज यह पत्रावली वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश करने पर तलब की गई। राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। पक्षकारान ने राजीनामा पढ़कर सुन, समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा बाद तस्दीक किया गया। सभी पक्षकारान ने अपने हस्ताक्षर अंकित किये जिनकी पहचान अधिवक्तागण द्वारा की गई। बहस राजीनामा सुनी गई। दौराने बहस वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं. से कम हो दाखिल दफ्तर उपखण्ड अधिकारी फागी	वादीगण गोपाललाल [illegible] [illegible] Identified by प्रतिवादी राजूलाल [illegible] [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर :— 53 / 2024
निर्णय दिनांक: 08.12.2025
पीठासीन अधिकारी— राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. गोपाल दत्तक पुत्र रामचन्द्र
2. नानूलाल पुत्र करणा
3. हीरालाल पुत्र करणा
4. हजारीलाल पुत्र मांगीलाल

समस्त जातियान जाट निवासीयान कंवरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजूलाल पुत्र बद्रीलाल जाति जाट निवासी कंवरपुरा तहसील फागी।
2. अखेराम पुत्र बद्रीलाल जाति जाट निवासी कंवरपुरा तहसील फागी।
3. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0 शाखा फागी।
4. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
5. उप—तहसीलदार नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:— श्री सूर्यप्रकाश शर्मा अधिवक्ता वादीगण
श्री बलविन्द्र सिंह चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1 व 2

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला—जयपुर

वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक:— 08.12.12025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कंवरपुरा के सम्बन्ध मे दिनांक 21.10.2024 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्णय व डिक्री की प्रति भेजकर नक्शा व कुर्रेजात दो—दो प्रतियों में भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार फागी द्वारा नक्शे – कुर्रेजात प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत नक्शा व कुर्रेजात का अवलोकन वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण को कराया गया। वकील वादीगण ने नक्शा कुर्रेजात पर आपत्ति प्रकट की। बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने मुताबिक नक्शा कुर्रेजात दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक नक्शा – कुर्रेजात पर अन्तिम डिक्री किये जाने पर आपत्ति प्रकट की। वादी के अधिवक्ता का कथन है कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार फागी द्वारा कोई पालना नहीं की है तथा न ही विवादित आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स व मौके पर कब्जे अनुसार तकासमा नहीं किया गया है तहसीलदार फागी द्वारा मौके पर विवादित आराजीयात का नक्शा कुर्रेजात बनाते वक्त उपस्थित हुये है तथा न ही पक्षकारान को विवादित आराजीयात का नक्शा कुर्रेजात बनाने के नोटिस जारी किये है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय रास्ते का भी प्रावधान रखे जाने के आदेश के बावजूद भी पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ते का कोई ध्यान नही रखा गया है इस प्रकार माननीय न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार फागी द्वारा विभाजन प्रस्ताव हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परिपत्र सं. 10546 दिनांक 05.10.2020 की किसी प्रकार से पालना नही की गई है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 व 2 का आपत्ति प्रार्थना पत्र उपर्युक्त अनुसार पेश कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय के प्राथमिक डिक्री के आदेशानुसार पालना कराये जाने हेतु पूर्व में बनाये गये

उपखण्ड अधिकारी फागी

नक्शे कुर्रेजात को निरस्त कर पुनः नवीन नक्शे कुर्रेजात बनाते हुए माननीय न्यायालय के आदेश की पालना कर माननीय न्यायालय में नक़्शा कुर्रेजात पेश करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा पेश आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय न्यायालय के प्राथमिक डिक्री के आदेशानुसार पालना कराये जाने हेतु पूर्व में बनाये गये नक्शे कुरेजात को निरस्त कर पुनः नवीन नक्शे कुर्रेजात बनाकर पेश करने का आदेश प्रदान करावें।

वकील वादीगण के ओर से जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र नक्शे कुर्रेजात पेश कर बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2024 को उपर्युक्त उनवानी वाद प्राथमिक डिक्री कर विवादित आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बोण्डस व मौके पर कब्जे अनुसार तकासमा किया जाकर तहसीलदार फागी को नक्शे अनुसार तकासमा किया जाकर तहसीलदार फागी को नक्शे कुर्रेजात दो–दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाये जाने के आदेश दिये गये थे जो कि सही है। बल्कि सही तथ्य यह है कि माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार तहसीलदार फागी द्वारा नियमानुसार सभी पक्षकारो को नोटिस जारी करने के उपरान्त मौके पर उपस्थित होकर पक्षकारान के कब्जे के अनुसार नक्शा कुर्रेजात बनाये गये है एवं उपर्युक्त विवादग्रस्त आराजीयात के सभी पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य है जो कि अपनी–अपनी आराजीयात में आने–जाने हेतु खातेदारी आराजीयात में से आपसी सहमती से आते–जाते है। अतः आपत्ति खारिज की जाकर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

राजीनामा

दिनांक 08.12.2025 को पक्षकारान उपस्थित होकर राजीनाम पेश किया तथा पत्रावली तलब की गई। राजीनाम मे बताया कि विवादग्रस्त अराजीयात के ख0नं0 194, 190, 189, 210 का बंटवारा ग्राम मदनपुरा से खड़ुंज जाने वाले रास्ता के लगवा लम्बवत पश्चिम से पूर्व जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार चार बंट बनेगे जिसमें उत्तर दिशा की तरफ सर्वप्रथम राजूलाल अखेराम का हिस्सा रहेगा उसके पश्चात हजारी लाल का हिस्सा रहेगा उसके पश्चात हिरालाल, नानूलाल का हिस्सा रहेगा उसके पश्चात दक्षिण की तरफ गोपाल का हिस्सा रहेगा। विवादग्रस्त आराजीयात के ख0नं0 208 का बंटवारा रास्ते से लम्बवत दक्षिण से उत्तर की तरफ किया है जिसमें पूर्व की तरफ जमाबंदी के अनुसार हजारी लाल का हिस्सा रहेगा उसके पश्चात राजूलाल अखैराम का हिस्सा रहेगा उसके पश्चात गोपाल का हिस्सा रहेगा उसके पश्चात हिरालाल, नानूलाल का हिस्सा रहेगा। विवादग्रस्त आराजीयात के ख0नं0 37 का बंटवारा उत्तर से दक्षिण की तरफ किया है जिसमें ख0नं0 15 की तरफ पश्चिम दिशा में जमाबंदी के हिस्से अनुसार हजारी लाल का हिस्सा रहेगा उसके पश्चात क्रमशः गोपाल, हिरालाल, नानूलाल, राजूलाल, अखैराम का बट रहेगा। विवादग्रस्त आराजीयात के ख0नं0 182 में बटवारा पूर्व से पश्चिम की तरफ लम्बवत जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार रहेगा जिसमें कैरिया के रास्ते के लगवा उत्तर दिशा में हजारी लाल का हिस्सा बट रहेगा पश्चात क्रमशः राजूलाल, अखैराम, गोपाल, हिरालाल, नानूलाल बट रहेगा। विवादग्रस्त आराजीयात के ख0नं0 231 व 232 का सामूहिक रूप से बटवारा रास्ता कंवरपुरा से खडूंज जाने वाले रास्ते से पश्चिम से पूर्वलम्वत रहेगे। जिसके दक्षिण दिशा में ख0नं0 231 में दक्षिण दिशा में राजूलाल, अखैराम का हिस्सा रहेगा उसके पश्चात 231 में हिस्सा रहेगा उसके पश्चात 232, 231 में हिरालाल, नानूलाल का हिस्सा रहेगा उसके पश्चात उत्तर दिशा में गोपाल लाल का हिस्सा रहेगा ख.नं. 232 में 2 बिस्वा जमीन कुऐं की जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार रहेगा। विवादग्रस्त आराजीयात के ख0नं0 145, 275, 274, 234, 235, 236, 237 में बटवारा राजूलाल, अखैराम के जमाबंदी दर्ज हिस्से अनुसार बट ख0नं0 145 सम्पूर्ण एवं शेष हिस्सा ख0नं0 275 में पश्चिम से पूर्व की तरफ लम्बवत उत्तर दिशा में ख0नं0 142 व 135 के लगवा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार रहेगा। हिरालाल, नानूलाल का हिस्सा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार ख.नं. 275 मे रहेगा। हजारीलाल का हिस्सा ख. नं. 274, 236, 235 में सम्पूर्ण हिस्सा रहेगा गोपाल लाल का हिस्सा ख0नं0 237 मे रहेगा। विवादग्रस्त आराजीयात के ख0नं0 72, 75, 77, 81 मे बटवारा में राजूलाल, अखैराम का ख0नं0 72 में सम्पूर्ण एवं शेष हिस्सा 2 बिस्वा ख.नं. 275 में लगवा रहेगा। गोपाललाल, हिरालाल, नानूलाल का हिस्सा ख.नं. 75, 77, 81 में रहेगा। सभी पक्षकारान के खाता सं. 22 के कुल खसरे संख्या 20 कुल रकबा 20.5229 हैक्टेयर में दर्ज हिस्से अनुसार क्रमशः

उपखण्ड अधिकारी फागी

गोपाल वगै0 बनाम राजूलाल वगै0
मु0न0:– 53/2024
निर्णय दिनांक:– 08.12.2025

हजारीलाल हिस्सा 1/4 गोपाल लाल हिस्सा 1/4, हिरालाल हिस्सा 1/8, नानूलाल हिस्सा 1/8, राजूलाल हिस्सा 1/8 अखैराम हिस्सा 1/8 के अनुसार भूमि प्राप्त होगी।

पत्रावली एवं नक्शा–कुर्रेजात और राजीनामा का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अवलोकन के बाद वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा व संलग्न तालिका विभाजन पत्र मय नजरी नक्शा अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा व संलग्न तालिका विभाजन पत्र मय नजरी नक्शा अनुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो। मुताबिक निर्णय व डिकी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

गोपाल वगै0 बनाम राजूलाल वगै0
मु0न0:— 53 / 2024
निर्णय दिनांक:— 08.12.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास— राकेश कुमार ।। (आर.ए.एस.)

उनवान

1. गोपाल दत्तक पुत्र रामचन्द्र
2. नानूलाल पुत्र करणा
3. हीरालाल पुत्र करणा
4. हजारीलाल पुत्र मांगीलाल

समस्त जातियान जाट निवासीयान कंवरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजूलाल पुत्र बद्रीलाल जाति जाट निवासी कंवरपुरा तहसील फागी।
2. अखेराम पुत्र बद्रीलाल जाति जाट निवासी कंवरपुरा तहसील फागी।
3. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0 शाखा फागी।
4. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
5. उप—तहसीलदार नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

::— वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा ::—

मु0न0:— 53 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीगण श्री सुर्यप्रकाश शर्मा हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री बलविन्द्र सिंह चौधरी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः **वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा व संलग्न तालिका विभाजन पत्र मय नजरी नक्शा तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है।**

निज..............मुबलिग..............................बाबत.............................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..............................फीसदी..........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.12.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत..............
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा.....फागी

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

(राकेश कुमार ।।)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर